भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.1441

15 दिसंबर, 2022 को उत्तर के लिए

पथ विक्रेता अधिनियम का कार्यान्वयन

1441. प्रो.रीता बहुगुणा जोशी:
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:
श्री कृष्णपालसिंह यादव:
डॉ.सुजय विखे पाटील:
श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल:
डॉ.श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(ख) सरकार द्वारा देश में शहरी पथ विक्रेताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) के अंतर्गत पथ विक्रेताओं को वित्त, प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान किए गए लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(घ) क्या राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को शहरी पथ विक्रेताओं के लिए योजना के कार्यान्वयन हेतु परामर्श जारी किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री कौशल किशोर)

(क): पथ विक्रेता (आजीविका का संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 को संबंधित राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इससे संबंधित अपने संबंधित नियम, योजना, उपनियम और पथ विक्रय की योजना बनाकर लागू किया जाता है। अधिनियम के तहत नियमों और योजनाओं को सभी राज्यों द्वारा अधिसूचित किया गया है। मेघालय ने अपने राज्य अधिनियम के तहत नियमों और योजनाओं को अधिसूचित किया है। अधिनियम के तहत, 30.11.2022

तक 32.07 लाख से अधिक पथ विक्रेताओं को विक्रय प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं और 28.06 लाख से अधिक पथ विक्रेताओं को आईडी कार्ड जारी किए गए हैं।

(ख): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय पत्र/परिपत्र जारी करके और प्रगति की निगरानी के लिए समीक्षा करके अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का ध्यान आकर्षित करता है।

(ग): पथ विक्रेताओं सहित शहरी गरीबों को दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) के क्रमशः स्वरोजगार कार्यक्रम (एसईपी) और कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट घटकों(ईएसटी एंड पी) के माध्यम से बाजारोन्मुख पाठ्यक्रमों में व्यक्तिगत और समूह उद्यमों की स्थापना और कौशल प्रशिक्षण के लिए बैंक ऋण पर ब्याज सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । पिछले तीन वित्त वर्षों अर्थात वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष2021-22 के दौरान लाभार्थियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

इसके अलावा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय शहरी क्षेत्रों में विक्रय करने के लिए पथ विक्रेताओं को माइक्रो-क्रेडिट की सुविधा प्रदान करने हेतु 01 जून, 2020 से पीएम पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना कार्यान्वित कर रहा है ताकि वे अपना व्यवसाय फिर से शुरू कर सकें जिस पर कोविड-19 महामारी के दौरान प्रतिकूल प्रभाव पडा था। इस योजना के अंतर्गत, पथ विक्रेता 10,000 रुपये तक का कार्यशील पूंजीगत ऋण प्राप्त कर सकते हैं इसके बाद पहली किश्त की वापसी अदायगी के बाद क्रमशः दूसरे 20,000 रुपये तक और तीसरे 50,000 रु तक के ऋण प्राप्त कर सकते हैं। दिनांक 07.12.2022 की स्थिति के अनुसार देश भर में 31.88 लाख से अधिक पथ विक्रेताओं को ऋण संवितरित किए गए हैं।

(घ): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय समय-समय पर पथ विक्रेताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 'विवाद निवारण तंत्र' स्थापित करने और पथ विक्रेताओं के बेदखली और पुनर्वास से संबंधित मुद्दों सहित अधिनियम में निर्धारित प्रावधानों का पालन करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्शिकाएं जारी करता है।

15 दिसंबर, 2022 के लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1441 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

पिछले तीन वर्षों (वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2021-22) के दौरान एसईपी और ईएसटी एंड पी घटकों के तहत लाभार्थियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एसईपी के तहत व्यक्तिगत/सामूहिक सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	ईएसटीपी के तहत प्रशिक्षित और प्रमाणित उम्मीदवारों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	21,006	1,354
2	अरुणाचल प्रदेश	10	518
3	असम	1,895	6,767
4	बिहार	3,604	8,861
5	छत्तीसगढ	14,773	2,454
6	गोवा	153	2,778
7	गुजरात	9,411	42,520
8	हरियाणा	2,126	5,049
9	हिमाचल प्रदेश	1,302	2,954
10	जम्मू और कश्मीर	5,178	3,042
11	झारखंड	4,038	9,123
12	कर्नाटक	3,705	10,547
13	केरल	5,039	7,199
14	मध्य प्रदेश	16,985	36,300
15	महाराष्ट्र	17,684	70,442
16	मणिपुर	7	360
17	मेघालय	38	870
18	मिजोरम	697	2,664
19	नागालैंड	190	0
20	ओडिशा	14,557	0
21	पंजाब	3,029	23,622
22	राजस्थान	5,400	10,779
23	सिक्किम	0	0
24	तमिलनाडु	1,23,012	1,256
25	तेलंगाना	4,319	1,237
26	त्रिपुरा	801	257
27	उत्तर प्रदेश	21,328	43,971
28	उत्तराखंड	3,191	284
29	पश्चिम बंगाल	4,488	8,907
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4	0

31	चंडीगढ़	71	3,244
32	दिल्ली	150	768
33	पुदुचेरी	187	137
34	लद्दाख	21	0
	कुल	**2,88,399**	**3,08,264**